मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18.09.2015 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. बैठक में सभी विभागों में से वैसे विभाग जहाँ प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु सर्वाधिक मामले लंबित हैं उन पर चर्चा किया गया। इनमें CWJC के संदर्भ में शिक्षा विभाग (1162 मामले), स्वास्थ्य विभाग (917 मामले), सहकारिता विभाग (421 मामले) पंचायती राज विभाग (403 मामले) एवं समाज कल्याण विभाग (374 मामले), में सर्वाधिक मामले लंबित हैं।

इसी प्रकार अवमाननावाद MJC के कारणपृच्छा दायर करने हेतु सर्वाधिक मामले स्वास्थ्य विभाग (171 मामले), शिक्षा विभाग (75 मामले), सहकारिता विभाग (58 मामले), नगर विकास एवं आवास विभाग (21 मामले), कृषि विभाग (17 मामले) में लंबित है।

इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा बताया गया कि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में हो रहे समीक्षा के बावजूद अभी भी लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की गति धीमी है। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र ससमय निश्चित रूप से दायर किया जाना चाहिए।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिर करने में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर चर्चा किया गया। इन विभागों में समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, वाणिज्य कर विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, पथ निर्माण विभाग शामिल हैं। इसी प्रकार अवमाननावाद के मामले में कारणपृच्छा दायर करने में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों पर भी चर्चा किया गया। इन विभागों में शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, वित्त विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग शामिल हैं। इनके प्रयासों के लिए मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा इनकी सराहना की गई।

4. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले पाँच विभागों पर चर्चा किया गया। इन विभागों में स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग शामिल हैं। इसी प्रकार अवमाननावाद MJC के मामलों में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों जिनमें स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं कृषि विभाग शामिल है, पर चर्चा किया गया। इन विभागों को प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने में हो रहे विलंब के आलोक में सतत् प्रयास करने व विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा दिया गया।

5. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लंबित CWJC के 917 एवं MJC के 171 मामलों पर चर्चा किया गया। प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया कि CWJC के 917 मामलों में से 592 मामलों में एवं MJC के 171 मामलों में से 89 मामलों में विभाग मात्र औपचारिक प्रतिवादी है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि इन मामलों में भी

प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर किया जाना आवश्यक है। अत: वैसे मामले जिनमें विभाग मात्र औपचारिक प्रतिवादी है, Short Counter Affidavit दायर करना चाहिए।

6. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा सहकारिता विभाग में लंबित CWJC के 421 एवं MJC के 58 मामलों पर चर्चा किया गया। प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग के द्वारा बताया गया कि CWJC के 421 मामलों में से 396 मामलों में एवं MJC के 58 मामलों में से 51 मामलों में विभाग मात्र औपचारिक प्रतिवादी है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग को निर्देश दिया गया कि इन मामलों में भी प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर किया जाना आवश्यक है। अत: वैसे मामले जिनमें विभाग मात्र औपचारिक प्रतिवादी है, Short Counter Affidavit दायर करना चाहिए।

7. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा वैसे विभागों को जिनके द्वारा उक्त बैठक से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है, यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि बैठक में लंबित मामलों की सही प्रकार से समीक्षा किया जा सके। इन विभागों में **अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, पि0 वर्ग एवं अति पि0 वर्ग कल्याण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं ऊर्जा विभाग** शामिल है।

8. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा इस बात पर चर्चा किया गया कि प्राय: यह देखा गया है कि कई मामलों में विभाग अधिवक्ताओं की सेवा प्राप्त करते है परन्तु उनके शुल्क की जानकारी उन्हें उपलब्ध नही होती है। इस कारण कई बार काफी अधिक राशि का भुगतान करना पड़ जाता है। अत: इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वकीलों के शुल्क से संबंधित जानकारी अपने प्रस्ताव के साथ विधि विभाग को उनकी सेवा प्राप्त करने से पूर्व ही उपलब्ध कराया जाए।

9. बैठक में कुछ विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा Public Works Tribunal के संबंध में चर्चा करते हुए बताया गया कि Public Works Tribunal संबंधित मामलों में राज्य सरकार अब तक एक भी मुकदमा जीत नही पाया है। इस संबंध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि Public Works Tribunal से संबंधित विभाग के मुकदमें के प्रभारी तथा संबंधित अधिवक्ता के कार्य की समीक्षा किया जाय तथा सक्षम अधिवक्ताओं का पेनल बना कर अनुमोदन हेतु विधि विभाग को भेजा जाए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा किया गया कि अधिवक्ताओं को दी जाने वाली राशि काफी कम है। इस संबंध में अधिवक्ताओं के शुल्क निर्धारण पर विचार करने हेतु विधि विभाग को निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0 109/2013/6533 जे0 पटना, दिनांक- 05-10-15

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार)
सरकार के सचिव, बिहार।